सदस्यता के नियम(P108H)

सदस्यता (विधि)

प्रत्येक सदस्य निम्न धाराओं का पालन करते हुए महासंगठन की सदस्यता हासिल कर सकेगा।

1. कोई भी वयस्क विश्वकर्मा व्यक्ति जो महासंगठन के उद्येश्यों से प्रतिबद्ध हो व लिखित में स्वीकृति दे चुका हो, प्रारम्भिक सदस्यता राशी का भुगतान कर सदस्यता ले सकेगा।
2. कोई भी विश्वकर्मा यदी सदस्यता लेना चाहता है तो उसके पास यथायोग्य अनुभव या क्षमता होना अनिवार्य है।
3. प्रारम्भिक सदस्यता शुल्क (जनगणना परियोजना सहायता राशी जीवन काल में देय एक बार) रु 10 है।
4. सदस्यता शुल्क स्तर के अनुसार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिये देय है।
5. सामाजिक कार्यों के लिये अतिरिक्त दानराशी आयोजन अनुसार स्वेच्छा से दे सकते हैं।
6. सदस्यता सदस्य के निवास स्थान के आस-पास ही होना अनिवार्य है।
7. सदस्य किसी भा अन्य सदस्य के साथ या टीम के साथ कार्य करने के लिये हमेशा तैयार रहना चाहिये।
8. सदस्य जातियों में भेदभाव न करता हो और समाज को संगठित करने की प्रबल इच्छा रखता हो।
9. महासंगठन द्वारा दिये गए किसी कार्य को करने के लिये हमेशा तैयार हो, कार्य किसी भी स्तर का हो।
10. धर्मनिर्पेक्षतावाद के सिद्धांतों पर अमल करता हो, समानता व आजाद मानसिकता रखता हो, किसी भी प्रकार की असहमति में महासंगठन के कार्यों का अथवा सिद्धांतों की तीव्र आलोचना न करता हो।
11. हर सदस्य को न्युनतम प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। सदस्यों को नियमों का ग्यान, महासंगठन की कार्यविधि को समझने के लिये अनिवार्य हो।
12. सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, और सदस्यता किसी को भी हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी।

13. सदस्यता निम्न अवस्थाओं में खत्म की जा सकती हैं -

a. स्वर्गवास के कारण।
b. सदस्य स्वयं किसी कारण वश त्याग दे।
c. सदस्य की असक्रियता यदि 3 महीने से अधिक पाई जाती है, तो कारण बताओ नोटिस के साथ सदस्य का कार्यभार किसी और सदस्य को सौंपने का निर्णय लिया जा सकता है।
d. यदि कोई सदस्य तीन बार से लगातार सभा में अनुपस्थित हो या तीन महीने से कोई सम्पर्क नहीं किया हो तो ऐसे सदस्य को रुची के अभाव के कारण निरस्त किया जा सकता है।
e. सदस्य के विरोध में कोई शिकायत पाए जाने पर, या कोई भी अप्रिय, असामाजिक या नियमों की अवहेलना करने पर।
f. किसी भी अवांछनीय परिस्थिति में सदस्य स्वेच्छा से त्याग दे सकता है, या कार्यालय एक अवधी में कारण बताओ नोटिस दे कर सदस्य को पदमुक्त कर सकता है।

सदस्यता का नवीनीकरण

1. सदस्यता की पुनः स्थापना की औपचारिकताओं को पूरा करके किया जा सकता है।
2. यदि कार्यकाल सफल रहा है तो पदोन्नत किया जा सकता है, अन्यथा एक कार्यकाल और दिया जा सकता है।